सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 03 चैत्र, 1945 (श०) / 24 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1)	स्वास्थ्य विभाग	.. ..	07
		कुल योग --	07

दवायें उपलब्ध कराना

70. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों में 611 प्रकार की दवा नि:शुल्क उपलब्ध कराने हेतु विभाग ने दवा एजेंसियों का पैनल बनाया है जिसे तय मानक के अनुसार निर्धारित समयावधि में दवा उपलब्ध कराना है किन्तु इसके विपरीत तथा निर्धारित समयावधि में दवा उपलब्ध कराने में विफल 34 एजेंसियों से 15 जून, 2022 को स्पष्टीकरण माँगी गई थी, परन्तु मात्र दो एजेन्सी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में सभी 611 प्रकार की नि:शुल्क दवायें उपलब्ध कराने में विफल सभी एजेन्सी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा सभी दवायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्र के अनुरूप वेतनमान

71. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 1996 से राज्य के सभी कर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान दिया गया परंतु दंत चिकित्सकों को केन्द्र के समरूप अथवा राज्य में कार्यरत सामान्य एवं आयुष चिकित्सकों के समान भी वेतनमान नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार दंत चिकित्सकों को भी केन्द्र के अनुरूप वेतनमान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लेवल 1 के ट्रॉमा सेन्टर खोलना

72. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2022 के प्रकाशित शीर्षक ''सूबे में एक भी आधुनिक ट्रॉमा सेन्टर नहीं, घायलों के इलाज में परेशानी'' के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 46 अस्पतालों को ट्रॉमा सेन्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है, लेकिन सभी लेवल 2 के ट्रॉमा सेन्टर हैं जिसमें मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है तथा लेवल 1 स्तर का एक भी ट्रॉमा सेन्टर नहीं होने से नागरिकों को काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक लेवल 2 के सभी ट्रॉमा सेन्टर में मानक के अनुरूप सुविधा बहाल कर राज्य में लेवल 1 के ट्रॉमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आई बैंक बंद रहने का औचित्य

73. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 3 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''डॉक्टर और संसाधन रहते आई बैंक में तीन साल से लटका ताला'' के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के मुख्य प्रवेश द्वार के बायीं ओर आई बैंक के नवनिर्मित भवन का कोरोना काल में ही उद्घाटन किये जाने के उपरान्त डॉक्टर और संसाधन रहने के बावजूद अभीतक ताला लटका है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

आयुष्मान भारत के लक्ष्य के अनुरूप कार्ड नहीं बनाने का औचित्य

74. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना 27 सितम्बर, 2018 से लागू होने के पश्चात् राज्य में 1 करोड़ 8 लाख 85 हजार लाभुक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्रदान की जानी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक 73.20 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया गया है, जो राज्य में कुल लक्ष्य का 31.5 फीसदी ही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लक्ष्य के अनुरूप आच्छादित नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

शुल्क संरचना में छूट

75. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई हेतु प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्र के अभिभावकों को पचास हजार से एक करोड़ रुपये तक खर्च करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पास करने वाले वैसे छात्र जो मामूली अंकों के अंतर से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं ले पाते हैं, ये गरीब प्रतिभावान छात्र एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निजी मेडिकल कॉलेजों में गरीब प्रतिभावना छात्रों के शुल्क संरचना में छूट दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मेडिकल कचरा निस्तारण केन्द्र स्थापित करना

76. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''सूबे में 60 प्रतिशत मेडिकल कचरे का निपटारा नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य प्रदूषण पर्षद द्वारा वर्ष 2021 में कराये गये सर्वे के मुताबिक राज्य में 26,478 अस्पताल संचालित है इनमें 6,608 बेड युक्त अस्पताल है जिसमें कुल बेडों की संख्या 1,04,391 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सी0पी0सी0बी0, दिल्ली की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका के अनुसार 10 हजार बेड पर एक मेडिकल कचरा निस्तारण केन्द्र होना चाहिये परंतु इनकी संख्या राज्य में मात्र चार है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानक के मुताबिक राज्य में मेडिकल कचरा निस्तारण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 24 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 101(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550